

अनुदान संख्या 81 - ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 81 – DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	137880,16,00		
		148217,71,00	130299,16,28	-17918,54,72
पूरक	Supplementary	10337,55,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			17906,68,96
पूंजीगत :	Capital:			
स्वीकृत -	Voted -	7,82,00	..	-7,82,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			7,82,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹1791854.72 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 तथा मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1033755.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹1791854.72 lakhs) exceeded supplementary grants of ₹1033755.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads: -

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services			
मू.	O.	2046.00		
		2234.00	2222.15	-11.85
पु.	R.	188.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"			
आवास	Housing			
मू.	O.	1744400.00		
पू.	S.	33751.00	1733751.00	1733745.83
पु.	R.	-44400.00		-5.17
मुख्य शीर्ष "2501"	Major Head "2501"			
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development			
मू.	O.	267518.00		
पु.	R.	-1000.00	266518.00	266463.04
				-54.96
मुख्य शीर्ष "2505"	Major Head "2505"			
ग्रामीण रोजगार	Rural Employment			
मू.	O.	9896800.00		
पू.	S.	1.00	8205376.54	8204302.46
पु.	R.	-1691424.46		-1074.08
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"			
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes			
मू.	O.	79625.00		
पू.	S.	2.00	84474.50	84438.12
पु.	R.	4847.50		-36.38
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	251100.00		
पू.	S.	100000.00
पु.	R.	- 351100.00		..

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	1532012.00	2738748.00	2738744.68	-3.32
पू.	S.	900001.00			
पु.	R.	306735.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता	Grants-in-aid to State				
अनुदान	Governments				
मू.	O.	14507.00
पु.	R.	-14507.00			

(I) ₹365718.50 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹365607.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹365718.50 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads; of these ₹365607.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552"-

(क) "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" -

(a) "Self Employment Programme-Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana"-

(i) "जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता" - ₹29100.00 लाख;

(i) "Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies"- ₹29100.00 lakhs ;

(ii) "महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना" - ₹1000.00 लाख;

(ii) "Mahila Kisan Sashktikaran Pariyojana"- ₹1000.00 lakhs;

(ख) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" - ₹1050.00 लाख;

(b) "Other Rural Development Programme - Training - Grants to National Institute of Rural Development" - ₹1050.00 lakhs ;

(ग) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्य व्यय" -

(c) "Other Rural Development Programme-Other Expenditure"-

- (i) “ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाओं के लिए प्रावधान” - ₹1280.00 लाख;
- (ii) “ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण” - ₹1200.00 लाख;
- (iii) “बीपीएल सर्वेक्षण” - ₹1620.00 लाख;
- (घ) “ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता” - ₹100400.00 लाख;
- (ङ) “अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता” - ₹4050.00 लाख; और
- (च) “जिला और अन्य सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य निष्पादनकारी अभिकरणों आदि को सहायता” - ₹211400.00 लाख (₹100000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।
- (i) “Provision for Urban Amenities in Rural Areas (PURA)” – ₹1280.00 lakhs;
- (ii) “Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process” – ₹1200.00 lakhs ;
- (iii) “BPL Survey” – ₹1620.00 lakhs;
- (d) “Rural Housing - Indira Awaas Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies”- ₹100400.00 lakhs;
- (e) “Other Rural Development Programme - DRDA Administration - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies”- ₹4050.00 lakhs; and
- (f) “District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Executing Agencies etc.”- ₹211400.00 lakhs (including supplementary grant of ₹100000.00 lakhs).
- उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।
- Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.
- (खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्य अनुदान - बीपीएल सर्वेक्षण” - ₹14507.00 लाख कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्य-रीतियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।
- (B) Major Head “3601” – “Grants for Central Plan Schemes – Other Rural Development Programmes – Other Grants – BPL Survey” – ₹14507.00 lakhs – due to non-finalisation of modalities for implementation of the programme.
- (II) मुख्य शीर्ष “2216” - “ग्रामीण आवास - आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण” के अंतर्गत ₹144800.00 लाख की बचत (₹844800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमानों में विनिवेश प्राप्तियों के अनुमानित संग्रहण में वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधन किए जाने के कारण हुई।
- (II) Under Major Head “2216” - “Rural Housing - Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Investment Fund”- saving of ₹144800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹844800.00 lakhs) was due to revision in the estimated collection of disinvestment receipts in revised estimates by the Ministry of Finance.
- (III) मुख्य शीर्ष “2501” - “स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - जिला ग्रामीण विकास
- (III) Under Major Head “2501” – “Self Employment Programme - Swarnjayanti Gram

अभिकरणों और अन्यो को सहायता” के अंतर्गत ₹950.00 लाख की बचत (₹255268.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा मूल्यांकन अध्ययनों को संचालित करने के लिए प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

Swarojgar Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies and Others”- saving of ₹950.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹255268.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies and non-receipt of proposals for conducting evaluation studies.

(IV) मुख्य शीर्ष “2505” - “ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(IV) Under Major Head “2505”-“Rural Employment Guarantee Scheme”- savings occurred under the following heads:-

(का) “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम” -

(A) “National Rural Employment Guarantee Scheme”-

(क) “जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्यो को सहायता” - ₹418835.67 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3998136.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने की वजह से राज्य सरकारों से पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) “Assistance to District Rural Development Agencies / District Programme Coordinators and Others” - saving of ₹418835.67 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3998136.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-receipt of adequate number of proposals from the State Governments owing to availability of unspent balances.

(ख) “निगरानी, अनुसंधान तथा मूल्यांकन” - ₹115.75 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य स्रोतों के जरिए नियोजित आंकड़ा संसाधन के क्रियाकलाप का प्रबंध आंतरिक रूप से किए जाने की वजह से कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) “Monitoring, Research and Evaluation” – saving of ₹115.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to requirement of less funds by implementing agencies owing to the fact that the activity of data processing planned through outsourcing was managed internally.

(ग) “क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता” - ₹6984.40 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) “Capacity Building and Technical Support”- saving of ₹6984.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments.

(खा) “आरक्षित निधि को अंतरण”-

(B) “Transfer to Reserve Fund”-

(क) “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि को अंतरण”- ₹425850.73 लाख की बचत (₹4010000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास

(a) “Transfer to National Rural Employment Guarantee Fund”-saving of ₹425850.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4010000.00 lakhs) was due to receipt of

पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से उनसे कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण” - ₹840721.00 लाख की बचत (₹1876800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमानों में विनिवेश प्राप्तियों के अनुमानित संग्रहण में वित्त मंत्रालय द्वारा परिशोधन किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2515” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “सार्वजनिक सहायता - लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद को अनुदान” - ₹5000.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिषद की पुनर्संरचना तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से कम संख्या में परियोजनाओं को स्वीकृत किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय - ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाओं का प्रावधान” - ₹4500.00 लाख की बचत (₹11120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने तथा विभिन्न संगठनों से प्राप्त परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “3054” - “जिला और अन्य सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए कर्ज पर ब्याज के वितरण के लिए एनआरआरडीए को सहायता” - ₹11031.59 लाख की बचत (₹123000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अदायगी किए जाने के लिए आहरित राशि का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता” - ₹172.39 लाख की बचत (₹360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों में कम संख्या में प्रशिक्षुओं के उपलब्ध होने के कारण हुई।

less proposals from State Governments owing to availability of unspent balances of previous years.

(b) “Transfer to National Investment Fund”- saving of ₹840721.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1876800.00 lakhs) was due to revision in the estimated collection of disinvestment receipts in revised estimates by the Ministry of Finance.

(V) Under Major Head “2515” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Public Cooperation - Grants to Council for Advancement of People’s Action and Rural Technology”- saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to sanctioning of lesser number of projects owing to restructuring of Council and availability of unspent balances of previous years.

(B) “Other Expenditure - Provision of Urban Amenities in Rural Areas (PURA)”- saving of ₹4500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11120.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage and non-finalisation of projects received from various Organisations.

(VI) Under Major Head “3054” - “District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Assistance to NRRDA for disbursement of Interest on Loan raised from NABARD”-saving of ₹11031.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹123000.00 lakhs) was due to non-drawal of drawn down payment.

(B) “Capacity Building and Technical Support”- saving of ₹172.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹360.00 lakhs) was due to less number of trainees available in the States.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹432760.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय तथा पूरक अनुदान मांगों के अनुबंध के द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2216” - “ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता” - ₹100475.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹100474.00 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2515” -

(क) “प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान” - ₹1144.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1143.00 लाख था।

(ख) “जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को अनुदान” - ₹12050.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹12022.36 लाख था।

(ग) “अन्य व्यय - ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण” - ₹1170.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1178.44 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष “3054” -

(क) “जिला तथा अन्य सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यकारी अभिकरणों आदि को सहायता” - ₹262583.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹262581.87 लाख था।

(ख) “सामान्य - आरक्षित निधि को अंतरण - केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण” - ₹55338.00 लाख।

2.(I) The above savings were partly (₹432760.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants - under the following major heads:-

(A) Major Head “2216”-“Rural Housing - Indira Awaas Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies”- ₹100475.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹100474.00 lakhs.

(B) Major Head “2515”-

(a) “Training - Grants to National Institute of Rural Development”- ₹1144.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1143.00 lakhs.

(b) “DRDA Administration - Grants to District Rural Development Agencies/Other Agencies”- ₹12050.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12022.36 lakhs.

(c) “Other Expenditure – Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process” – ₹1170.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1178.44 lakhs.

(C) Major Head “3054”-

(a) “District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other executing Agencies etc.”- ₹262583.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹262581.87 lakhs.

(b) “General - Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Roads Fund”- ₹55338.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - ग्रामीण विकास विभाग” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई थीं - ₹176.15 लाख का अधिक व्यय (₹2046.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन तथा भत्तों के बकाया के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने तथा संशोधित आशवासित करियर प्रोन्नति स्कीम के अंतर्गत उन्नयन के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “4515”	Major Head “4515”	
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	
मू.	O.	782.00
पु.	R.	-782.00

(I) “ग्रामीण विकास - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना” के अंतर्गत एक मामले में ₹782.00 लाख का प्रावधान सरस हाट के लिए स्थान के चयन से जुड़ी कुछ तकनीकी समस्या की वजह से निर्माण कार्य शुरू न हो सकने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि :-

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित की गई शर्तों और सीमाओं के अनुसार उपयोग करने के लिए की गई थी। इस निधि में अनुदानों या कर्जों के माध्यम से ऐसी धनराशि जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा उपयुक्त विनियोग करके जमा की जाती है।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3451” - “Secretariat -Department of Rural Development”- excess of ₹176.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2046.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of arrears of pay and allowances and upgradation under modified assured career progression scheme.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

(I) Provision of ₹782.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under “Rural Development – Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana” – due to non-commencement of construction work owing to some technical problem with site selection for SARAS Haat.

4. National Rural Employment Guarantee Fund:-

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

वर्ष 2010-11 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

The Account of the Fund for 2010-11 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य Nil
प्राप्तियां	Receipts	46202,28,27
अदायगियां	Payments	46202,28,27
अंतशेष	Closing Balances	शून्य Nil
